ISBN: 978-81-974088-0-9

7. वर्तमान समाज एवं दिव्यांग बालक की समस्याएं

पूजा घोष

(सहा. प्रा.), कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन,
रायपुर, छ.ग.

सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के लाभ से वंचित रहने की समस्या

प्रस्तावनाः– किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य (जो मानव के लिये सामान्य समझी जाने वाली सीमा के भीतर हो) को करने में परेशानी या न कर पाने की क्षमता को दिव्यांगता के रूप में पारिभाषित किया जाता है।

दिव्यांगता विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि जैसे जीवन के हर पहलू में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों तथा उनके हितों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करता है।

भारत में कई कानूनों और योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अवसरों की सुलभता और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हालाँकि भारत अभी भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अवसंरचनात्मक, संस्थागत और दृष्टिकोण व्यवहार संबंधी बाधाओं को दूर करने में बहुत पीछे है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 :– आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 को 27 दिसंबर, 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस अधिनियम की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका उद्देश्य समाज में प्रत्येक विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) की गरिमा को बनाए रखना और किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना है।

यह अधिनियम विकलांग लोगों की पूर्ण स्वीकृति की सुविधा भी देता है और समाज में ऐसे व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समावेशन सुनिश्चित करता है। अधिनिमें 102 धाराओं के साथ 17 अध्याय हैं।

यह पीडब्ल्यूडी को दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाले किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो बाधाओं के साथ बातचीत करके समाज में प्रभावी और समान विकास में बाधा डालता है। इसके अलावा, यह ''बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति'' को ढ40ः निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के रूप भी परिभाषित करता है।

सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा संचालित योजनाएंः–

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगों की सुविधा के लिए कई योजनाओं का संचालन शुरू किया है। वर्तमान में पांच प्रमुख योजनाएं संचालित हैं। इनमें

1. दिव्यांग भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना,
2. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना,
3. दुकान निर्माण/संचालन ऋण योजना,
4. शादी– प्रोत्साहन योजना,
5. दिव्यांगता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा के लिए अनुदान योजना है।

1. दिव्यांग पेंशन योजना : दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना के तहत कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता से प्रभावित 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को उनके भरण–पोषण के लिए 500 रुपये और उस अवस्था से ग्रसित दिव्यांगजन को 2500 रुपये प्रति माह दिया जाता है।

2. कृत्रिम अंग/ सहायक उपकरण योजना : कृत्रिम अंग/ सहायक उपकरण योजना के तहत कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता से प्रभावित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति को कृत्रिम अंगध सहायक उपकरण जैसे– ट्राई साइकिल, वैशाखी, व्हीलचेयर, कान की मशीन, वाकर, कैलिपर्स आर्टिफिशियल हाथ–पैर आदि निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।

3. 2021–22 में 28406 दिव्यांगजनों को मिला दिव्यांग भरण पोषण अनुदान : भाजपा की प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के सहयोग के लिए कई योजनाओं का संचालन शुरू किया है। इनका लाभ भी बड़े पैमाने पर मिल रहा है।

वर्तमान में पांच प्रमुख योजनाएं संचालित हैं। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना की बात करें तो 2021-22 में 28406 दिव्यांगजनों को लाभ मिल चुका है। इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20989, 2018-19 में 22238, 2019-20 में 24386 लोग लाभान्वित हुए थे।

5 वर्षों में कितने दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ मिला : कृत्रिम अंग/ सहायक उपकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2534, 2018-19 में 1605, 2019-20 में 70, 2020–21 में 2666 और वर्ष 2021&22 में 1346 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है।

5 वर्षों में इस योजना के तहत कुल 8221 दिव्यांगजनों के सहयोग दिया गया। दुकान निर्माण/संचालन ऋण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 38, 2018-19 में 34, 2019-20 में 32, 2020-21 में 45 और वर्ष 2021-22 में 45 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है। 5 वर्षों में इस योजना के तहत कुल 194 दिव्यांगजनों को मदद दी गई।

सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर उनके विकास के लिए किए जाने वाले अनेकानेक प्रयत्नों के बावजूद समस्याः–

सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर उनके विकास के लिए किए जाने वाले अनेकानेक प्रयत्नों के बावजूद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिकांश आबादी आज भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पायी है। विकास के एक मुख्य मापदंड के रूप में शिक्षा के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए।

1. माता–पिता की सोच भी इन बच्चों के प्रति सकारात्मक नहीं होती है,
2. संस्थागत अड़चनेंः वर्तमान में भी देश में दिव्यांगता के संदर्भ में जागरूकता, देखभाल, अच्छी और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त पुनर्वास सेवाओं की पहुँच, उपलब्धता और सदुपयोग में भी कमी देखी गई है। ये कारक दिव्यांग लोगों के लिये निवारक और उपचारात्मक ढाँचा सुनिश्चित करने में बाधक बने हुए हैं।

3. शिथिल कार्यान्वयनः सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के लिये कई सराहनीय पहलों की शुरुआत की गई है।
4. हालाँकि सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) के तहत सभी मंत्रालयों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अपने भवनों/इमारतों को सुलभ बनाने का निर्देश दिये जाने के बाद भी वर्तमान में अधिकांश भवन दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अनुकूल नहीं हैं।
5. इसी प्रकार 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के तहत सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया है, परंतु वर्तमान में इनमें से अधिकांश पद खाली हैं। गौरतलब है कि भारत 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय' (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities & UNCRPD) का भी हिस्सा है।
6. दिव्यांगता को लेकर जागरूकता में कमीःसमाज का एक बड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्तियों को 'सहानुभूतिपूर्ण' और 'दया' की नजर से देखता है, जिससे उन्हें सामान्य से अलग या 'अन्य' (Other) के रूप में देखे जाने और देश के तीसरे दर्जे के नागरिक के रूप में उनसे व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।
7. मुख्य धारा से विमुखः इसके अलावा एक बड़ी समस्या समाज के एक बड़े वर्ग की मानसिकता से है जो दिव्यांग व्यक्तियों को एक दायित्व या बोझ के रूप में देखते हैं। इस प्रकार की मानसिकता से दिव्यांग व्यक्तियों के उत्पीड़न और भेदभाव के साथ मुख्यधारा से उनके अलगाव को बढ़ावा मिलता है।
8. मजबूत इच्छाशक्ति और अकृत्रिम मंशाः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद से इस अधिनियम के तहत निर्धारित आरक्षण को लागू करने में गड़बड़ी से जुड़े कई मामले देखने को मिले हैं।
9. गरीबी और निरझर होना : भारत में दिव्यांग लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास की चुनौतियों से प्रभावित होने की संभावनाएँ भी अधिक हैं।दिव्यांगता से जुड़ा डेटा गरीबी और दिव्यांगता के बीच पारस्परिक संबंध की ओर संकेत करता है। दिव्यांगता से प्रभावित लोगों की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनका जन्म गरीब परिवारों में है।
10. राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभावः भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की व्यापक आबादी होने के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले लगभग 7 दशकों में मात्र 4 संसद सदस्य और 6

राज्य विधानसभा सदस्य ही ऐसे रहे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिव्यांगता से पीड़ित हैं।आबादी के 45% लोग निरक्षर हैं, जो उनके लिये बेहतर और अधिक सुविधा–संपन्न जीवन के निर्माण प्रक्रिया को मुश्किल बनाता है। यह चुनौती राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अभाव में और जटिल हो जाती है।

सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर उनके विकास के लिए किए जाने वाले अनेकानेक प्रयत्नों को सुगम्य हेतु समाधानः–

1. माता–पिता की सोच भी इन बच्चों के प्रति सकारात्मक हो।
2. देश में दिव्यांगता के संदर्भ में जागरूकता, देखभाल, अच्छी और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं की व्यास्था किया जा, बनी हुई है।
3. दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रोसाहित करना।
4. दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अपने भवनों/इमारतों को सुलभ बनाने का निर्देश दिये जाने चाहिए।
5. जिनका जन्म गरीब परिवारों में है। उन तक सरकारी सुविधाए आसानी से पहुॅचनी चाहिए।

निष्कर्षः–

विकलांगों के लिए सरकारी संगठनों का योगदान समाज में विकलांगो को सामाजिक, आर्थिक, 'शैक्षिक, और व्यवसायिक आधार पर सरकार विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने का निरन्तर प्रयास करती रहती है।

इन प्रयासों के फलस्वरूप सरकार द्वारा समय पर अनेक अल्पवाधिक अथवा दीर्घावधिक योजनाओ का संचालन किया जाता हैं।

जिससे की इन योजनाओं का लाभ त्वरित रूप में अथवा कुछ समयान्तराल में प्राप्त किया जा सके। विकलांगो के लिए सरकारी संगठनों के योगदान को प्रमुखतः से योजनाओं के रूप में दृष्टिगत किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूचीः–

1. https://uphwd.gov.in/hi/page/definition-of-disability
2. Viklang Balak by Jagat Singh: "Viklang Balak" by Jagat Singh
3. Vividhta samavesshi aur gender NCERT
4. https://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/47168/1/Unit-14.pdf
5. https://www.allresearchjournal.com/archives/2015/vol1issue2/PartC/6-11-41-301.pdf
6. Heena siddiqui samaveshi shiksha
7. Priyadarshini mishra, dayarani, Bahudivyangta